168

संख्या-*144*/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः23/01/2024

विषयः- प्रदेश के 48 जनपदों में 100-100 होमगार्ड की दर से 4800 होमगार्डो को आपदा मित्र का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 14,16,00,000/-की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 734/प्रशि० पी0सी0टी0/2023-24 दिनांक 14.11.2023 एवं पत्र संख्या 1002/प्रशि० पी0सी0टी0/2023-24 दिनांक 17.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों में 100-100 होमगार्ड की दर से 4800 होमगार्डो को आपदा मित्र का प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों/अर्हताओं के अनुरूप प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 14,16,00,000/-की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये 48 जनपदों में अधिकतम 40 वर्ष आयु के होमगार्डो की सूची में से जनपदवार 100-100 होमगार्ड का चयन फिटनेस के आधार पर करते हुए उन्हें आपदा मित्र का *12* दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर इमरजेन्सी रेस्पान्डर किट उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार एवं शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन रू0 14,16,00,000/-की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	**विवरण**	**दर**	**आपदा मित्रों की संख्या**	**योग**
1.	प्रशिक्षण सम्बन्धित सामग्री, आई-कार्ड एवं प्रमाण-पत्र आदि	1,500/-	4,800	72,00,000/-
2.	12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (12 दिन x रु. 1500/-प्रतिदिन=18,000/-)	18,000/-	4,800	8,64,00,000/-
3.	इमरजेन्सी रिस्पान्डर किट एवं जीवन बीमा	10,000/-	4,800	4,80,00,000/-

	पॉलिसी प्रीमियम			
	योग	29,500/-	4,800	14,16,00,000/-
(रुपये चौदह करोड़ सोलह लाख मात्र				

नियम व शर्ते / प्रतिबंधों

1. होमगार्डों के सम्बन्ध में होमगार्ड विभाग से इस आशय का अन्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया जायेगा कि जिन होमगार्डों को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित करते हुए किट दिया जायेगा, वे होमगार्ड आपदा के समय जनपदों में आपदा मित्र के रूप में अपना पूरा योगदान दिया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त प्रशिक्षण इसी वित्तीय वर्ष ***2023-24*** में कार्यक्रम तैयार कर समयबद्ध रूप से करा लिया जायेगा। जिलों में ***100*** होमगार्ड की लिमिट रखते हुए जितनी संख्या प्राप्त हुई है उनकी फिटनेस आदि को इक्जामिन करते हुए ही प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया जायेगा। जहां ***100*** से अधिक की सूची प्राप्त हुई वहां ***100*** ही होमगार्ड प्रशिक्षित किये जायेंगे।

2. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य नियमानुसार कराया जायेगा तथा इमरजेन्सी किट आदि का क्रय ई-टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा एवं प्रशिक्षण सामग्री तथा अन्य व्ययों के संबंध में वित्तीय नियमों जेम पोर्टल तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका / बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

4. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाईन दिनांक 12.01.2022 एवं 22.04.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

6. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

8. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

9. ई-टेण्डरिंग / जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

10. उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा होमगार्ड विभाग से सम्नव्य करते हुए तैयार कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यक्रम समयबद्ध रूप से कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 14,16,00,000/-(रुपये चौदह करोड़ सोलह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष ***2023 2024*** के आय-व्ययक में अनुदान संख्या ***051*** लेखा शीर्षक ***2245- 05-800-0611*** से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-***42*** अन्य व्यय के नामे

डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक*)* अनुभाग-*1* के कार्यालय ज्ञाप संख्या-*2 /2023/* बी-*1-227/*दस-*2023-231/2023,* दिनांक-*17* मार्च *2023* में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 23-01-2024 15:19:16
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः-144(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम / आडिट प्रथम, 3 ०प्र०, प्रयागराज

2 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, होमगार्ड विभाग, उ०प्र० शासन

3- महानिदेशक, होमगार्ड विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन

5- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

6- संबंधित मण्डलायुक्त /संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर, प्रदेश द्वारा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण।

7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 3 ०प्र० शासन।

8- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।

9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०

10- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी, उ0प्र0

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-25/01/2024

प्रेषण संख्या:- 144
आवंटन आदेश संख्या:- 001-144
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	141600000 354759369	141600000 354759369
	योग	वर्तमान प्रगामी	141600000 354759369	141600000 354759369

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ सोलह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख उनसठ हजार तीन सौ उनहत्तर

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन